

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

(6)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 12/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/16

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

अभियुक्त :-

बनाम

1. ललीता पटेल पत्नि श्री रमेशकुमारजी
मैसर्स-महादेव दुध डेयरी, गेट के अन्दर मैन
रोड, खान्दु कोलोनी, बांसवाड़ा
2. Ratan s/o Shri Bherulal Gurjar M/s-
Radhe Milk Enterprises, B-6 Amliya
Bawaji Road, Nimbahera,
Chittorgarh. (Raj.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011
निर्णय

दिनांक 13.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 29-03-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25-10-2021 को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स महादेव दुध डेयरी, गेट के अन्दर मैन रोड, खान्दु कोलोनी, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर ललीता पटेल पत्नि श्री रमेशकुमारजी उपस्थित थी। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Ghee (Brand-Raj Paras)** के 40 पैकेट 500-500 ml आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें गिलाबट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **Ghee (Brand-Raj Paras)** के चार पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 840 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तैरदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा **Ghee (Brand-Raj Paras)** के चारो पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा

मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/306-307 दिनांक 24.12.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 340 दिनांक 22.12.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Raj Paras)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Ghee (Brand-Raj Paras)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29-03-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 25.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व दिनांक 17.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहित अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 06.06.2022 को अप्रार्थीगणों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 13.06.2022 को अभियुक्तगणों ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणों एवं उनके अधिवक्ता को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/306-307 दिनांक 24.12.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 340 दिनांक 22.12.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Raj Paras)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standard: (Packaging and Labelling) Regulation 2011, declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वतः अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतिक




नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(ZI) के तहत गिराब्राण्डेड **Ghee (Brand-Raj Paras)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्रीमती ललीता पटेल पत्नि श्री रमेशकुमारजी मैसर्स:-महादेव दुध डेयरी, गेट के अन्दर मैन रोड, खान्दु कोलोनी बांसवाडा को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू दस हजार मात्र) व Ratan s/o Shri Bherulal Gurjar M/s- Radhe Milk Enterprises, B-6 Amliya Bawaji Road, Nimbahera, Chittorgarh, (Raj.) को रूपये 15,000/- (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रॉ इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तद् जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश कुमर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति. पिला कानून)
(अति. जिला कलेक्टर)
बांसवाडा (राज.)
बांसवाडा